20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

(67) (1)

न्यायालय श्रीमान् "सदस्य" राजस्व मण्डल-ग्वालियर संभाग-ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक- 2/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2763 सन्-2017

1. रामसेवक मिश्रा तनय स्व. श्री हरप्रसाद मिश्रा, आयु-72 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-04, विश्वनाथ रोड, फुब्बारा चौक के पास, बस स्टेण्ड, छतरपुर, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती लीला बाई पुत्री स्व. श्री हरप्रसाद मिश्रा, पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार तिवारी, आयु-77 वर्ष, निवासी-तिवारी जी की बगिया, सीलिंग होम स्कूल के पास, छतरपुर, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्तागण/अपीलार्थीगण

22.8.17

बनाम

1. प्रशान्त सुल्लेरे तनय श्री अवधकिशोर सुल्लेरे, आयु-29 वर्ष, निवासी ग्राम-बारी, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.),
2. जानकी प्रसाद सुल्लेरे तनय स्व. श्री जुगराज सुल्लेरे, आयु-74 वर्ष, निवासी ग्राम-बारी, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.),
3. श्रीमती ललती बाई पुत्री स्व. श्री जुगराज सुल्लेरे, पत्नी श्री राधेश्याम तिवारी, आयु-78 वर्ष, निवासी ग्राम-बारी, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.),
4. कौशल किशोर चौबे तनय स्व. श्री हेमराज चौबे, आयु-30 वर्ष, निवासी ग्राम-कुसमा, तहसील-महाराजपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.),
5. बृजकिशोर चौबे तनय स्व. श्री हेमराज चौबे, आयु28 वर्ष, निवासी ग्राम-कुसमा, तहसील-महाराजपुर, जिला-छतरपुर (म.प्र.),
6. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा-पटवारी हल्का नंबर-62, ग्राम-बारी, रा.नि.मं. व तहसील एवं जिला-छतरपुर (म.प्र.) ... विपक्षीगण/रिस्पोन्डेंट

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रथम अपील क्रमांक-143/ए-6/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक-10.07.2017, जो दिनांक-25.07.2017 को उक्त निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ। रामसेवक मिश्रा वगैरह बनाम प्रशांत सुल्लेरे वगैरह निगरानी हस्व धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता-1959</u>

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2763-एक/2017 रामसेवक विरूद्ध प्रशांत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक रामसेवक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक प्रशांत की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 143/ए-6/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 29.x.18	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

29.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य